भारतीय लोकतन्त्र : मुद्दे,विकल्प और चुनौतियाँ

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,मोहान
रोड,लखनऊ,उ.प्र

शोध सारांश

लोकतंत्र की श्रेष्ठता के अनेक कारण हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को शिखर तक पहुँचने का अवसर मिल सकता है। अन्य तन्त्रों में सामूहिक नेतृत्व की परम्परा हो या एकल नेतृत्व की, हर व्यक्ति को शीर्ष पर देखने की कल्पना ही नहीं हो सकती। एकतंत्र और अधिनायकतंत्र में सत्ता के विरोध में बोलने वाला निश्चित होकर नहीं जी सकता। इतिहास बताता है कि ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार की यातनाएं अथवा मृत्यु दण्ड झेलने के लिये तैयार रहना पड़ता है जबकि लोकतंत्र में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी न्यायालय के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। जन आकांक्षाओं की पूर्ति का अवकाश जितना लोकतंत्र में है, एकतंत्र में नहीं हो सकता। लोकतंत्र में अच्छाइयों की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। लोकतंत्र अपेक्षाकृत सर्वोत्तम शासन तंत्र वहाँ है, जहाँ यदि इस तंत्र को संचालित करने वाले और उनका चयन करने वाले व्यक्ति सही हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों व मूल्यों के प्रति विश्वास पैदा हो। इसके अलावा जनता बौद्धिक रूप से जागरूक भी होनी चाहिए। जनता इतनी समझदार और शिक्षित होनी चाहिए कि वह सार्वजनिक समस्याओं पर खुलकर अपने विचारों को प्रकट कर सके और वक्त आने पर इन समस्याओं का समाधान भी तलाश सके। मत देने वाले अर्थात अपने जनप्रतिनिधि चुनने वालों में इतनी योग्यता जरूर होनी चाहिए कि वह उनका चुनाव उचित तरीकों से कर सकें। लोकतंत्र तभी फल–फूल सकता है, जब वैधानिक परम्पराओं के प्रति निष्ठा रखी जाए। एक सफल लोकतंत्र वहीं पाया जाता है, जहाँ जन साधारण में राजनैतिक जागरूकता होती है, सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति अभिरूचि होती और सच्चाई के साथ अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। यदि ऐसे जागरूक और सच्चे लोग चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करें तो कोई कारण नहीं कि लोकतंत्र सफल न हो सकें।

Keywords : *भारत,सांस्कृतिक विविधता,लोकतन्त्र,व्यवस्था मुद्दे,विकल्प,चुनौतियाँ।*

भारत एक विशाल सामाजिक,धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता वाला देश है जहाँ सदियों से अनेक धर्मों को मानने वाले, अनेक भाषा बोलने वाले तथा अनेक जातियों उपजातियों के लोग निवास करते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने पहली बार प्रशासनिक एकरूपता स्थापित की। यही वह समय था जब भारत के पारम्परिक,सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ढाँचे में औपनिवेशिक हितों के अनुरूप आवश्यक बदलाव किये गये। औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर किये गये तत्कालीन परिवर्तन का दूरगामी परिणाम हुआ। भारत एक राजनैतिक इकाई के रूप में संगठित तो हुआ परन्तु अनेक सामाजिक ,धार्मिक असंतोष को हवा मिली। तत्कालीन

हालात में उपजा सामाजिक,धार्मिक असंतोष आज तक कायम है।

जनता द्वारा प्रत्यक्ष शासन लोकतन्त्र का सर्वाधिक शुद्ध रुप है, जिसमें सभी लोग सरकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं। प्राचीन भारत में ग्रामीण गणराज्यों में जनता को प्रत्यक्ष भागीदारी प्राप्त थी, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का प्रत्यक्ष निर्णय पाना अभी भी महत्वपूर्ण व विवादास्पद मुद्दों का एकमात्र हल समझा जाता है। जब ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश का प्रश्न एक विवादास्पद मुद्दा बन गया तब इस मुद्दे का समाधान जनमत संग्रह द्वारा हुआ। महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त जनमत को अंतिम व न्यायसंगत लोकतांत्रिक निर्णय माना जाता है, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, जनमत संग्रह, प्रस्तावाधिकार प्रत्याहवान वापस बुलाना तथा लोकमत आदि के रूप में कार्य करता है। स्विटजरलैण्ड के कुछ कैण्टनों में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को लागू किया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के सात से अधिक दशक बीत जाने पर भारतीय लोकतन्त्र की वस्तुस्थिति पर पुनर्चर्चा अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि मानव मानव सम्बन्धी मुद्दे, चुनौतियाँ व समाधान सभी इस प्रणाली में निहित हैं, मूल्यों का संरक्षण इसमें ही सम्भव है।

यह भारत का सौभाग्य ही है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकपाल के रूप में जाना और पहचाना जाता है। निस्संदेह भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। लेकिन समय के साथ–साथ भारतीय लोकतंत्र में कई खामियाँ आ गयी हैं। क्षरण प्रकृति का नियम है इसलिए भारतीय लोकतंत्र में भी समय के साथ–साथ कुछ ऐसी विकृतियाँ आ गयी हैं जिनके कारण लोकतंत्र से लोगों का भरोसा कभी–कभी उठने लगता है।ऐसा तभी होता है जब लोकतंत्र उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता। वास्तव में यह लोकतंत्र की कमी नहीं अपितु व्यवस्था एवं व्यवस्था से जुड़े लोगों की कमी है। प्लेटो से लेकर वर्तमान तक राजनीति विज्ञान में 'लोकतंत्र' चर्चा का विषय रहा है। लोकतंत्र का शब्दार्थ बिल्कुल सहज है। 'लोक' अर्थात् जनता और 'तन्त्र' अर्थात् शासन अथवा राज्य। अतः लोकतंत्र का अर्थ हुआ–'जनता का राज्य'। इसका अंग्रेजी पर्याय 'डेमोक्रेसी' है। यह यूनानी भाषा के 'डेमोस' तथा 'क्रेटिया' शब्दों के योग से बना है। इसका भी यही अर्थ है–'बहुतों की शक्ति' अथवा 'जनता का राज्य।' संस्कृत साहित्य में 'लोकतंत्र' शब्द का प्रयोग 'जनता के राज्य' के अर्थ में नहीं, वरन् शासन अथवा राज्य कार्य के सामान्य अर्थ में हुआ है।

लोकतंत्र के अंग्रेजी पर्याय 'डेमोक्रेसी' शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक मूल के शब्द डेमोस से हुई है जिसका अर्थ है 'जनसाधारण'। इसमें 'क्रेसी' शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ है, 'शासन' या 'सरकार'। इस तरह 'लोकतंत्र' शब्द का मूल अर्थ ही जनसाधारण या जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र ''जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए'' (स्थापित) शासन प्रणाली है।'' सीले के अनुसार ''प्रजातन्त्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति हिस्सा लेता है।'' इन परिभाषाओं का मूल अभिप्राय यह है कि लोकतंत्रीय प्रणाली में शासन या सत्ता का अंतिम सूत्र जनसाधारण के हाथों में रहता है ताकि सार्वजनिक नीति जनता की इच्छानुसार और जनता के हित–साधन के उद्देश्य से बनाई जाय और कार्यान्वित की जाय। इसमें शासन चलाने का काम जनसाधारण के प्रतिनिधियों को सौंपा जा सकता है, परंतु उन्हें निश्चित अंतराल के बाद फिर से जनसाधारण का विश्वास प्राप्त करना होगा।

आजादी के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार ,प्रतिनिधियात्मक लोकतन्त्र ने इसे और बढ़ाया। आजादी के बाद जाति, धर्म भाषा तथा क्षेत्रवाद हमेशा अहम मुद्दे रहे हैं। समय–समय

पर महंगाई,भ्रष्टाचार गरीबी भी मुद्दे बनते रहे है। सन् 1991ई0 के उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के बाद से भारत में घपलों, घोटालों की बाढ़ सी आ गई है। हाल में नित नये संगठित भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं जिसमें कुछ अवसरों पर सरकार के अंगों की संलिप्लता दिखायी पड़ी है। नित नये भ्रष्टाचार एवं प्रभावी कार्यवाही का अभाव निराशा को बढ़ा रहा है। कतिपय यही कारण है कि हाल में स्वतः स्फूर्त नागरिक सक्रियता से एक विशाल जन आन्दोलन दिखायी पड़ रहा है।

वस्तुतः भारत के समक्ष गरीबी और सामाजिक न्याय दो बड़ी चुनौतियाँ थीं। रूढ़िवादी एवं आदर्शवादी दोनों ही इन समस्याओं से भली–भाँति परिचित थे और उनका निश्चित विचार था कि हिंसा एवं सर्वाधिकारवादी तरीकों से किया गया परिवर्तन काफी दुःखदायी होगा। एक शोषण के अन्त से दूसरे शोषण के आरम्भ होने की प्रवल सम्भावना थी। इसलिए वे जनतान्त्रिक साधनों मेल–मिलाप एवं समझौते द्वारा परिवर्तन के पक्षधर थे। रूढ़िवादियों एवं आदर्शवादियों के बीच समझौता मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में स्पष्ट तौर पर प्रकट हुआ।

सामाजिक न्याय भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर का मिलना। कानून एवं न्याय की दृष्टि में भी सभी को समान माना जाना चाहिए। आर्थिक असमानताओं के होते हुए सामाजिक न्याय की बात करना व्यर्थ है और जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा,तब तक लोकतंत्र की बात सोचना व्यर्थ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा है कि जनता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल हो और वह खुलकर अपने विचार प्रकट कर सके। बिना स्वतंत्रता के नागरिक शासकीय कार्यों में भाग नहीं ले पायेंगे जिससे लोकतंत्र अपना अर्थ खो बैठेगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि देश में शांति का वातावरण हो, सुरक्षा का माहौल हो ताकि जनता स्वतंत्रता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। स्वशासन प्रणाली को भी लोकतंत्र के लिए जरूरी माना जाता है। शक्ति का केन्द्रीयकरण तो निरंकुशता और अधिनायकतंत्र का प्रतीक है। लोकतंत्र की माँग है कि शक्ति और सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, सत्ता एक हाथ से निकलकर कई हाथों में बँटे। इसीलिए स्वायत्शासी संस्थाओं व स्थानीय निकायों के विकास को लोकतंत्र में अधिक से अधिक अवसर देने की कोशिश की जाती है। स्थानीय सरकारों या स्थानीय निकायों को तो लोकतंत्र की पाठशाला तक करा गया है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जनता को वास्तविक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण मिलता है।

प्रजातांत्रिक देशों में हर नागरिक के मन में यह महत्व और गौरव जगाया जाना चाहिए कि वस्तुतः वही अपने देश के भाग्य का निर्माता है। उसके हाथ में मतदान का ऐसा अस्त्र है जिसके सदुपयोग और दुरूपयोग पर देश की तकदीर और तस्वीर बदलती है। मतदान को खिलवाड़ समझना अथवा उपेक्षित दृष्टि से देखना अपने नागरिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की गरिमा को अस्वीकार करना है। इस राष्ट्र की बहुमूल्य थाती समझना चाहिए, जिसे केवल सत्पात्रों के हाथ में ही स्थानान्तरित किया जाना उपयुक्त है। किसी दुराचारी, अनाचारी के हाथ में सत्ता चले जाने पर उसका दण्ड सारे समाज को भुगतना पड़ता है और उसका दोष उस अविवेक के ऊपर आता है जिसने मतदान करते समय अपने निकृष्ट स्वार्थों को ही ध्यान में रखा और राष्ट्रीय गौरव–गरिमा तथा प्रतिष्ठा को कूड़ेदान में डाल दिया। लोकतंत्र में मतदाता को यह हजार बार सोचना चाहिए कि उसे यह अद्भुत अधिकार मिला हुआ है कि चाहे तो वह देश को ऊँचा उठाने और आगे बढ़ाने में योगदान करे अथवा उसे टाँग पकड़ कर पीछे घसीटने एवं पतन के

गहरे गर्त में धकेल देने की प्रक्रिया पूरी करे। इस मतदान के अधिकार को वह कई वर्षों बाद चुनाव के समय एक ही बार उपयोग में ला सकता है। मतदान से पहले मिठास, खुशामद और अपनेपन की जो वर्षा की जाती है, कल्पवृक्ष की तरह मनोकामना को पूरा करा देने की जो आशा दिलाई जाती थी, उसमें कितना दम था इसका नग्न रूप देखना हो तो चुनाव के बाद उन चुने हुए सज्जन का रंग–ढंग, तौर–तरीका देखकर आसानी से वस्तुस्थिति को समझा जा सकता है। मत माँगने वाले भोले–भाले मतदाता को दिग्भ्रमित करने के लिए क्या–क्या तरकीबें लगाते हैं, उन्हें बारीकी से देखा जाय तो इन माननीयों की धूर्तता का लोहा मानना पड़ेगा। जाति–बिरादरीवाद का बहुत जोर उन दिनों दिखाई पड़ता है जिन दिनों मतदान का अवसर होता है। ऐसे लोगों के बिरादरी के दुःखी–दरिद्र और संतप्त लोगों की भलाई के लिए क्या किया है, इसका लेखा–जोखा माँगने पर वे शून्य ही निकलते हैं। मीठी बातें कहकर अपने को विश्वस्त और शुभचिन्तक सिद्ध करते हैं। प्रलोभन–उपहार देकर अपने को उदार और सज्जन सिद्ध करते हैं । शीघ्र ही कोई बड़ा फायदा करा देने का सब्जबाग दिखाते हैं। जब भोले–भाले मतदाता उनकी तरफ थोड़ा आकर्षित होने लगते हैं, तभी उनका मत झपट कर ये तिकड़मी लोग उन्हँ चारों खाने चित्त कर देते हैं। चुनाव जीतने के लिए ओछे हथकण्डे प्रयुक्त किये जाते हैं। धर्मवाद, सम्प्रदायवाद की ओछी भावनाओं को भड़काकर अपना तात्कालिक स्वार्थ पूरा करने के लिए इस बात को भुला दिया जाता है कि इस विषबेल को बोकर सामाजिक स्थिति को भविष्य के लिए कितना विषाक्त बनाया जा रहा है। पैसा और प्रलोभनों के बल पर, प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में करके उनके दबाव से मत प्राप्त करने का हथकण्डा प्रसिद्ध है। झूठे आश्वासन देकर लालची लोगों को अपने पक्ष में कर लेना, प्रविपक्षी के सम्बन्ध में अनिति और मिथ्या आरोपों का दुष्प्रचार करना जैसी बाते चुनाव के दिनों में चलती है। राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। असली लोक–सेवकों का नजरअंदाज करके जिताऊ उम्मीदवारों का राजनीतिक दलों द्वारा चयन तथा उनका चुनाव जीतकर सदन में पहुँचना अत्यन्त दुःखद है।

लोकतंत्र रूपी वृक्ष अपने आप हरा–भरा हो जायेगा,केवल उसकी जड़ भर ठीक कर दी जाएँ। लोकतंत्र का मूल आधार है चुनाव, चुनाव की सफलता का आधार है मत और मत का सीधा सम्बन्ध प्रजा से है, इसलिए लोकतंत्र में मतदाता का महत्व सर्वाधिक है। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि देश को अच्छे भविष्य की ओर ले जाने का निर्णायक अधिकार प्रजा के हाथ में है और पतन के गर्त में धकेल देने का अधिकार भी उसी के पास है। यदि जनता अपने मताधिकार का समझदारी से प्रयोग नहीं करती तो आज का लोकतंत्र सड़े दूध की तरह पेट की खराबी, कब्ज और उल्टी का कारण ही हो सकता है। गाँधी जी कहा करते थे कि हमारा प्रजातंत्र श्रद्धा पर अवलम्बित है। श्रद्धा कैसी? मतदाता को पता भी तो होना चाहिए कि वह जिसे शासन सत्ता सौंपने जा रहा है वह उसके हित का ध्यान भी रख सकता है या नहीं। कभी मतदाता चुनाव में खड़े होने वालों के लच्छेदार भाषण पर मुग्ध होकर मत देता है तो कभी जाति–पॉति और कभी क्षेत्रीयता के आधार पर। प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर मतदाता मत देता है, तो खुशामद और नोट लेकर वोट देने की बुराइयॉ भी भारतीय लोकतंत्र को जर्जर कर रही है। किसी जनप्रतिनिधि को मत देते समय यह भी देखना चाहिए कि प्रत्याशी का चरित्र और उसके मत प्राप्त करने का तरीका भी नैतिक है या नहीं। यह ध्यातव्य है कि अब तक उसने अपने जीवन–क्रम की क्या तस्वीर प्रस्तुत की है और जनसेवा के लिए अब तक क्या किया है? एक दिन में कोई व्यक्ति न तो सज्जन बन सकता है और न ही

जनसेबी। पिछले दिनों जिसकी वैयक्तिक क्रिया–पद्धति संदिग्ध तथा सामाजिक कार्य–कलाप असन्तोषजनक रहा है तो इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि उसे किसी प्रतिष्ठित राजनीतिक दल द्वारा टिकट मिला है अथवा उसके भावी आश्वासन आकर्षक है। भविष्य में कौन क्या करेगा यह निश्चित नहीं है। इसलिए भविष्य में कौन क्या करेगा इसका अनुमान उसके भूतकाल को देखकर लगाया जाना चाहिए। भावी आश्वासनों की अपेक्षा भूतकाल की गतिविधियों को देखकर किसी निर्णय पर पहुंचना अधिक सही सिद्ध होता है।

विवकेशील व्यक्तियों एवं शासन को इसके लिए तत्पर होना चाहिए कि जहाँ तक हो सके मतदाताओं की प्रजातंत्र का स्वरूप और उसमें मतदाता के कर्तव्य उत्तरदायित्व को समझाया जाय। इसके लिए लेखन, वाणी, विचार, विनियम,आन्दोलन के जितने भी तरीके उपयोग में लाये जा सकते हों उन समस्त श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में मतदान का अधिकार का महत्ता को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपने प्रजातंत्रीय देश का भाग्य एवं भविष्य पूरी तरह इस अभिनव चेतना के अभिवर्धन पर ही निर्भर है।

लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों व मूल्यों के प्रति विश्वास पैदा हो। इसके अलावा जनता बौद्धिक रूप से जागरूक भी होनी चाहिए। जनता इतनी समझदार और शिक्षित होनी चाहिए कि वह सार्वजनिक समस्याओं पर खुलकर अपने विचारों को प्रकट कर सके और वक्त आने पर इन समस्याओं का समाधान भी तलाश सके। मत देने वाले अर्थात अपने जनप्रतिनिधि चुनने वालों में इतनी योग्यता जरूर होनी चाहिए कि वह उनका चुनाव उचित तरीकों से कर सकें। लोकतंत्र तभी फल–फूल सकता है, जब वैधानिक परम्पराओं के प्रति निष्ठा रखी जाए। एक सफल लोकतंत्र वहीं पाया जाता है, जहाँ जन साधारण में राजनैतिक जागरूकता होती है, सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति अभिरूचि होती और सच्चाई के साथ अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। यदि ऐसे जागरूक और सच्चे लोग चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करें तो कोई कारण नहीं कि लोकतंत्र सफल न हो सकें।

वर्तमान परिवेश में सुशासन (गुड गवर्नेंस) केवल कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का ही दायित्व नहीं है, इस दिशा में न्यायपालिका से भी बड़ी अपेक्षाएँ हैं। कार्यपालिका में काम कर रहे अस्थायी (राजनीतिज्ञ) तथा स्थायी (नौकरशाह) व्यक्तियों का उत्तरदायित्व गंभीरता के साथ सुनिश्चित किया जाय, नीति निर्माण तथा निर्णयों के क्रियान्वयन में पारदार्शिता लायी जाय, भ्रष्टाचार का समूलोन्मूलन कर योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जाय, प्रभावशाली, कार्यकुशल एवं सच्चे अर्थों में लोककल्याणकारी लोकतंत्र का निर्माण हो, तर्कशील एवं जागरुक नागरिक चरित्र का निर्माण हो जो समाज की भावी आवश्यकताओं के प्रति चैतन्य हो–यह सब प्रयास भी 'राज्य' के एक अंग के रूप में न्यायपालिका को करना चाहिए। इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका को अनेक संस्थाओं से सहायता मिल सकती है जैसे– मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, अम्बुडसमैन आदि। जनहित याचिकाओं के त्वरित समाधान हेतु भी न्यायपालिका को पृथक से संस्था सृजित करने का समय आ गया है क्योंकि इनकी संख्या निरन्तर बढ़ रही है। जन चेतना के प्रवाह को सार्थक दिशा देने का कार्य न्यायपालिका को अपने कन्धों पर लेना ही होगा।

सहायक संदर्भ ग्रन्थ

- भारतीय लोकतंत्र : समस्याएँ व समाधान–महेश्वर सिंह, साहित्यागार, प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर, 1999
- राजनीति सिद्धान्त–ज्ञान सिंह संधसु, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1983.
- भारतीय शासन व राजनीति,डॉ0 पुखराज जैन,डॉ0 बी0एल0 फाड़िया
- राजनीतिक सिद्धान्त की रूपरेखा,ओम् प्रकाश गाबा,प्रकाशक–मयूर पेपर बैक्स नोएडा,संस्करण–2005
- भारत की विदेश नीति,बी0एन0 खन्ना एवं लिपाक्षी अरोड़ा,प्रकाशक–विकास पब्लिशिंगहाउस प्रा0लि0,नई दिल्ली, संस्करण–2010
- भारतीय प्रजातांत्रिक प्रक्रिया एवं नागरिक असंतोष–रामकृष्ण पांडे, पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 1994.
- आधुनिक लोकतंत्र–अनुवादक–ओम प्रकाश दीपक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1988.
- भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन–अशोक शर्मा, अनुसंधान एवं विशद् अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1994.
- लोकतंत्र और चुनाव सुधार–डॉ0 निशांत सिंह, स्वप्निल सारस्वत, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2008.
- राजनीति विज्ञान व सरकार,ए0 वी0 डायसी
- भारतीय शासन व राजनीति,आर0 के0 सिंह
- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और भारत का संविधान,ऋषिकेश सिंह
- आधुनिक राजनीति विज्ञान का सिद्धान्त, जे0 सी0 जौहरी
- ऋग्वेद दशम मण्डल –सम्पादक,पं. दामोदर सातवलेकर
- लोक और लोक का स्वर,विद्यानिवास मिश्र,संस्करण 2000, प्रभात प्रकाशन,नई दिल्ली
- संविधान का दर्शन,आचार्य,डॉ0 दुर्गा दास बसु
- आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन,महावीर सिंह त्यागी
- ज्योति प्रसाद सूद : राजनीतिक विचारों का इतिहास भाग 1
- हमारा संविधान,सुभाष कश्यप
- राजनीतिक विचारों का इतिहास,ओ.पी. गाबा
- वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट्स,बारकर
- यजुर्वेद–सम्पादक ,पं. दामोदर सातवलेकर
- काव्य प्रपानिका, डॉ. कपिलदेव पाण्डेय
- ऋग्वेद–सम्पादक पं. दामोदर सातवलेकर
- इन्ट्रोडक्शन टू पोलिटिकल सांइंस,गार्नर
- रोल आफ सिविल सोसाइटी,इन्श्योंरिंग स्टेट एकाउटबिल,राडेस टण्डन
- मेनर, जेम्स का लेख, कास्ट एंड पालिटिक्स इन रीसेंट टाइम
- कास्ट इन इंडियन पालिटिक्स,कोठारी रजनी (सं) ओरिएन्ट ब्लैक स्वान,नई दिल्ली 2010

- मेनका गाँधी बनाम भारत सरकार, AIR 1978
- कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स, ओरियन्ट लागमैन,रजनी कोठारी
- गर्वनमेंट एण्ड पालिटिक्स आफ इण्डिया,मौरिस जोस
- इण्डिया दि मोस्ट डेंजरस डिकेटस,डी0आर0 गाडगिल
- एन्थ्रोपोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया,पीपुल आफ इण्डिया प्रोजेक्ट, संपादक, के0 एन0 सिंह
- दी पैटर्न आफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स,ए0जे0 दस्तूर
- स्टेट पालिटिक्स आफ इण्डिया,सं0–इकबाल नारायण

मूल ग्रन्थ

- मनुस्मृति
- अथर्ववेद
- कौटिल्य,अर्थशास्त्र
- गौतम
- विष्णुधर्मोत्तरपुराण
- संस्कृत–हिन्दी कोश,वामनशिवराम आप्टे
- अभिज्ञानशाकुन्तल
- शुक्रनीति

पत्र–पत्रिकाएँ

- जनसत्ता, समाचार पत्र, प्रकाशन–लखनऊ, अंक–जून 2011
- दैनिक जागरण, समाचार पत्र, प्रकाशन–इलाहाबाद, अंक 9 मई, 2011
- देश–देशान्तर पत्रिका,सम्पादक ,श्रीधर द्विवेदी प्रकाशक–मलय प्रकाशन इलाहाबाद, संस्करण–2011
- नवभारत टाइम्स, समाचार पत्र, प्रकाशन–दिल्ली, संस्करण–फरवरी 2011
- वर्ल्ड फोकस वार्षिक अंक, भारत के पड़ोसी देश और विदेश नीति, प्रकाशन–दिल्ली,संस्करण–नवम्बर–दिसम्बर 2011
- दृष्टिकोण मंथन, संस्करण, 16–31 जुलाई 2011, ,प्रकाशन–दिल्ली
- दैनिक भास्कर, समाचार पत्र, प्रकाशन–दिल्ली, संस्करण 01–15 मई, 2012
- नारायणन डॉ0 के0 आर0, उद्धृत हस्तक्षेप,राष्ट्रीय सहारा, 19 फरवरी 2000
- प्रतियोगिता दर्पण,हिन्दी मासिक पत्रिका,संस्करण–मार्च 2011
- दृष्टिकोण मंथन, संस्करण –1–15,अप्रैल–2011,प्रकाशन–दिल्ली
- दृष्टिकोण मंथन, संस्करण –1–15,मई–2011,प्रकाशन–दिल्ली
- दैनिक भास्कर, समाचार–पत्र, प्रकाशन–दिल्ली, अंक–10 सितम्बर, 2011
- निबंध मंजूषा–समीरात्मज मिश्र, टाटा मैग्रा हिल्स पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 2008.